न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– रामकरण सिंह, (RAS)
प्रकरण सं०–31/22
प्रविष्टि दिनांक –14.3.2022

1. कृष्णा पत्नी पवन कुमार जाति पारीक उम्र ५३ वर्ष निवासी निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक राज. मो. 7014 509376.

वादीया

बनाम

1. मोती पुत्र रुगनाथ जाति माली निवासी सुभाष कॉलोनी, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. भंवरलाल पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी यादव गोपालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. तहसीलदार साहब निवाई जिला टोंक राज.

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– **श्री रामावतार शर्मा**
श्री बनवारी लाल यादव अभिभाषक प्रतिवादी सं० 2 की ओर से, प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दावा बाबत तकासमा आराजियात

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र दावा बाबत तकासमा आराजियात पेश किया। जिसमें अंकितानुसार आराजी खसरा नम्बर 1964/1 रकबा 15 बिस्वा वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टॉक में स्थित है जिसमें वादीया का 1/2 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/15 व प्रतिवादी नम्बर 2 का 13/30 हक व हिस्सा निहित है जिसके वादीया व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज चले आ रहे है। वादीया एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि को मौके पर बहामी रूप से बांट रखा है जिसके मुताबिक वादीया के 1/2 हक व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1964/1 में उत्तर से दक्षिण खडी पट्टी के रूप में दो हिस्से कर पूर्वी ओर का हक व हिस्सा वादीया के हिस्से में आयी हुई भूमि है तथा पश्चिमी ओर का आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आया हुआ भाग व हिस्सा है जिसके मुताबिक वादीया व प्रतिवादी मौके पर भूमि के काबिज मालिक चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि का विधिवत रूप से तकासमा नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त रूप से ही दर्ज इन्द्राज है जबकि वादीया व प्रतिवादीगण ने अपने अपने हक व हिस्से की भूमि को मौके पर बहामी रूप से बांटकर भूमि के मध्य में से उत्तर से दक्षिण खडी लाईन कर दो भाग करते हुये पूर्वी ओर का 1/2 हिस्सा वादीया के हक व हिस्से में आने के कारण वादीया ने अपने 1/2 हक व हिस्से की भूमि को फूड प्रोसिंग यूनिट अन्तर्गत रूल 6 ए राजस्थान लैण्ड रेवन्यू कनवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड फोर नॉन एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज रूल 2007 के तहत कनवर्ट करवाकर मौके पर पुख्ता निर्माण कर रखा है जो मौके पर गोदाम के रूप में वादीया के कार्य में आ रहा है इस प्रकार वादीया मौके पर अपने हक व हिस्से पर पूर्णतया भौतिक एवं वास्तविक रूप से काबिज मालिक चली आ रही है किन्तु भूमि का विधिवत तकासमा नही होने के कारण वादीया को उक्त भूमि का स्वतंत्र रूप से एवं राजकीय कार्यालयो में उपयोग व उपभोग करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है इस कारण उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1964/1 रकबा 15 बिस्वा वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक में वादीया के 1/2 हक व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1964/1 में उत्तर से दक्षिण खडी पाटी की जाकर पूर्वी ओर का हिस्सा वादीया के हिस्से में रखा जाकर तथा पश्चिमी ओर का हिस्सा प्रतिवादीगण के हक व हिस्से में रखा जाकर भूमि का विधिवत तकासमा किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीया उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/2 हक व हिस्से की वैधानिक खातेदार मालिक स्वामी है जिसका कि मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त आधिपत्य चला आ रहा है एवं वादीया ने अपने हक व हिस्से की भूमि को रूल 6ए राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल 2007 के तहत भूमि को विधिवत आदेश प्राप्त कर मौके पर कब्जे एवं आधिपत्य में होकर भूमि का नियमानुसार उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर उपरोक्तानुसार अपने अपने हक व हिस्से के कब्जे काश्त के मुताबिक खसरा नम्बर 1964/1 में 1/2 हक व हिस्सा पूर्वी ओर का वादीया के हिस्से में एवं पश्चिमी ओर का 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादीगण के हक व हिस्से में रखा जाकर भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर विधिवत तकासमा किया जाने में किसी भी पक्ष को कोई क्षति व असुविधा कारित नहीं होती है बल्कि वादीया व प्रतिवादीगण अपने अपने हक व हिस्से की भूमि का विधिवत तकासमा होने से भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग कर सकेगे तथा भविष्य में होने वाले समस्त विवादो से बचा जा सकेगा लिहाजा वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित भूमि का विधिवत तकासमा किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

वाद पत्र के साथ फोटो प्रति सर्टिफिकेट, नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 2073, नकल फोटो प्रति नक्शा शीट, नकल फोटो प्रति खसरा गिरदावरी पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 वाद रजि0 एडी तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी लाल यादव ने वकालतनामा पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है।

वकील वादी ने साक्ष्य न पेश करके सीधे बहस का निवेदन किया। बहस वकूलाम सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये वाद वर्णित भूमि का हिस्से व मौके कब्जे अनुसार तकासमा करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने भी वाद हिस्से व मौके कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात वाद हक हिस्से व मौके कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया व तहसीलदार निवाई से पीडी रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार निवाई से पीडी रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा विवादित आराजियात ख0नं0 1964/1 रकबा 15 बिस्वा के तकासमा हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से, कब्जेअनुसार पर पीडी रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई है। जिस पर अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की है, जो कि विवादित आराजियात का तहसीलदार निवाई द्वारा प्रस्तुत पीडी रिपोर्ट अनुसार तकासमा करने हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति को दर्शाता है। ऐसे में वाद वादी बाबत् तकासमा आराजियात ख0नं0 1964/1 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई का तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर बाबत तकासमा आराजियात खसरा नंबर 1964/1 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है :-

ग्राम–**कस्बा निवाई**, पटवार मण्डल–**कस्बा निवाई प्रथम**, तहसील **निवाई**, जिला **टोंक**

जमाबंदी संवत 2070–2073,		**खसरा नं0–1964/1 (रकबा 15 बिस्वा)**	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा है0 में
1	1. कृष्णा पत्नि पवन जाति पारीक सा0 देह खाते0	1964/1	0.0949
	योग	किता–1	0.0949
2	1. भवंरलाल पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 822/948 जाति यादव सा0 झिलाय खाते0 2. मोती पुत्र रूघनाथ हि0 126/948 जाति माली सा0 देह खाते0	1964/5	0.0948
	योग	किता–1	0.0948

आज **दिनांक** 07/10/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी, निवाई (टोंक)

कृष्णा बनाम मोती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– रामकरण सिंह, (RAS)
प्रकरण सं०–100/2015
प्रविष्टि दिनांक –14.7.2015

1. कृष्णा पत्नी पवन कुमार जाति पारीक उम्र ५३ वर्ष निवासी निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक राज. मो. 7014 509376.

वादीया

बनाम

1. मोती पुत्र रुगनाथ जाति माली निवासी सुभाष कॉलोनी, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. भंवरलाल पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी यादव गोपालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. तहसीलदार साहब निवाई जिला टोंक राज.

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री रामावतार शर्मा
श्री बनवारी लाल यादव अभिभाषक प्रतिवादी सं० 2 की ओर से, प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल अनुपस्थित।

दावा :–बाबत् तकासमा आराजियात

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण निनजानिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल खसरा नंबर 1964/1 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट अनुसार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार अमलदरामद करे।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीज़ान	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीज़ान	शून्य	शून्य

आज दिनांक 7/10/21 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई